रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219725
CG-DL-E-04062020-219725

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2020/ज्येष्ठ 14, 1942
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2020/JYAISHTHA 14, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2020

सा.का.नि. 348(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप कमांडेंट (लेखा अधिकारी) समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, उप कमांडेंट (लेखा अधिकारी) समूह 'क' लेखा काडर पद भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं आदि—**भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—**इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र बलों में स्वास्थ्य देख.रेख पद्वति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति, जिसके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन भी हैं, पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति—** जहॉ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्व करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 **अधिवर्शिता—** ऐसे अधिकारी, जो उप कमांडेट(लेखा अधिकारी) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आय प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होंगे ।

8. **व्यावृति—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

9. **निर्वचन—** यदि इन नियमों से सम्बंधित कोई प्रश्न उठता है तो इसे केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर.	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप कमांडेंट (लेखा अधिकारी)	02*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (योधक अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 11 (67700–208700 रु0)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(10)	**(11)**
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :—** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 10(56100–177500 रु0) में वे ऐसे सहायक कमान्डेन्ट(लेखा अधिकारी) जिन्होंने उस श्रैणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विहित प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण या पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**प्रतिनियुक्ति—**
(12)	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (4) उप सचिव या निदेशक ग्रह मंत्रालय भारत सरकार – सदस्य	क.(i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सद्र पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 10(56100–177500 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो, और ख. निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित खाता विभाग द्वारा संचालित संख्यिकी विश्लेषण प्रणाली(एस.ए.एस.) या समतुल्य परीक्षा पास की हो, या (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या समतुल्य में रोकड और लेखा कार्य का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड लेखा और बजट कार्य का 7 वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण—** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण—** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष स अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(13)
लागू नहीं होता।

[फा. सं. आई.12012/01/2019–संगठन]

एस. मुत्थु कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2020

G.S.R. 348(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules sregulating the method of recruitment to the post of Deputy Commandant(Accounts Officer), Group 'A' post in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant(Accounts Officer) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical Fitness.- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment basis under the provisions of these rules.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Superannuation.— (1) Personnel holding the post of Deputy Commandant (Accounts Officer) shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which they attain the age of sixty years.

Provided that the person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Interpretation.— If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification of the post.	Level in the pay matrix	Selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Commandant (Accounts Officer)	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), (Combatant Ministerial).	Level 11 (Rs.67700 -208700)	Selection post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)

Promotion :

From amongst Assistant Commandants(Accounts Officer) in Indo-Tibetan Border Police Force in level 10(Rs. 56100-177500) of the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training or course.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government:-

a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10(Rs. 56100-177500 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre department and

b) Possessing any of the following qualifications:-

(i) A person passed in the Statistical Analysis System(SAS) or equivalent examination conducted by any one of the organised Accounts Departments of the Central Government or

(ii) Successful completion of Training in Cash and Accounts Works in the Institute of Secretariat Training and Management(ISTM) or equivalent and seven years of experience in Cash, Accounts and Budget work.

Note 1 :- The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 :- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A', Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (4) Deputy Secretary or Director, Ministry of Home Affairs - Member.	Not applicable.

[F. No. I. 12012/01/2019-Org.]

S. MUTHU KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.06.04 21:34:34 +05'30'